

सार्वजनिक उद्यम विभाग/ब्यूरो द्वारा कैलेन्डर वर्ष 2019से अबतक की अवधि में सम्पादित कार्यों
का संक्षिप्त विवरणः

1. सार्वजनिक उद्यम विभाग/ब्यूरो की स्थापना एक विशेषज्ञ परामर्शीय विभाग के रूप में की गयी थी। विभाग/ब्यूरो द्वारा प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपकरणों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं प्रबन्धकीय प्रकरणों पर निगमों/उपकरणों के प्रशासनिक विभाग द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करने का सतत् कार्य किया जाता है।
2. सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के कार्मिकों हेतु वेतन, महंगाई भत्तों एवं अन्य भत्तों के सम्बन्ध में राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप समय-समय पर शासनादेश/निर्देश निर्गत किये गये।
3. सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित 'अधिकृत समिति' द्वारा सार्वजनिक उपकरणों/निगमों में वेतनमान एवं महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर निगमों/प्रशासनिक विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिये गये।
4. प्रदेश में कार्यरत सार्वजनिक उद्यम विभाग की परिधि में आने वाले उपकरणों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यचालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन एवं आकड़ों का विश्लेषण कर सार्वजनिक उपकरणों/निगमों की संकलित वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करने वाली वर्ष 2017-18 की रिपोर्ट तैयार की गयी।
5. सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के निदेशक मण्डल की बैठकों में विभागीय अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होकर शासकीय नीतियों और शासनादेशों पर मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
6. सार्वजनिक उपकरणों/निगमों के कार्य कलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण का कार्य किया गया।
7. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपकरण/निगम संयुक्त समिति द्वारा आयोजित बैठकों में आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) द्वारा समिति को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया गया।

(अस्तीति इनाम दिन
विधान मण्डल
सार्वजनिक उद्यम विभाग
संसद भवन)